

वेबसाइट www.govtprintmp.nic.in से
डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 42]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 20 अक्टूबर, 2017-आश्विन 28, शके 1939

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

मेरी समस्त शैक्षणिक दस्तावेजों और आधार कार्ड में मेरा नाम चित्रलेखा गिरी पुत्री गुरुचरण गिरी अंकित है अब मैंने अपना नाम बदलकर आयरा गिरी (AYRA GIRI) रख लिया है।

पुराना नाम :

(चित्रलेखा गिरी)

(CHITRALEKHA GIRI)

पुत्री श्री गुरुचरण गिरी।

नया नाम :

(आयरा गिरी)

(AYRA GIRI)

पुत्री श्री गुरुचरण गिरी,

पता-एस-1/57, दुर्गेष विहार,

जे. के. रोड, भोपाल (म.प्र.).

(461-बी.)

नाम परिवर्तन

मैं, पीयूष पाण्डे उर्फ प्रखर पाण्डे आ. श्री प्रदीप पाण्डे, उम्र 28 वर्ष, निवासी ग्राम अंजनिया, तहसील बिछिया, जिला मण्डला का स्थाई निवासी हूँ मुझे पीयूष पाण्डे एवं प्रखर पाण्डे दोनों नामों से जाना जाता रहा है मेरे विभिन्न शैक्षणिक दस्तावेजों में विभिन्न शासकीय कार्यालयों में तथा अन्य लोक दस्तावेजों में उक्त दोनों ही नाम लिखते चले आ रहे हैं। दिनांक 22-09-2017 को मैं, पीयूष पाण्डे उर्फ प्रखर पाण्डे द्वारा यह शपथ-पत्र दिया गया है कि आज दिनांक 22-09-2017 से मात्र पीयूष पाण्डे आ. श्री प्रदीप पाण्डे के नाम से ही जाना जावे एवं पढ़ा जावे समस्त शासकीय, अशासकीय व अर्द्धशासकीय संस्थानों में पीयूष पाण्डे आ. श्री प्रदीप पाण्डे के नाम से लेन-देन वैद्य होगा।

पुराना नाम :

(प्रखर पाण्डे)

नया नाम :

(पीयूष पाण्डे)

आ. श्री प्रदीप पाण्डे,

निवासी-ग्राम अंजनिया, तह. बिछिया,

जिला मण्डला (म.प्र.).

(447-बी.)

उप-नाम परिवर्तन

मैं, वंशधारी कुर्मी आत्मज श्री जगुनन्दन पटेल, निवासी पारस नगर, विश्वविद्यालय रोड, वार्ड नं. 10 अनन्तपुर, रीवा, वर्तमान में मैं मध्यप्रदेश वित्त निगम कार्यालय भरहुत नगर मोड़ रीवा, रोड सतना में कनिष्ठ सहायक के पद में कार्यारत हूँ मैंने वैधानिक कार्यवाही पूर्ण कर अपने उप-नाम में परिवर्तित कर “कुर्मी” की जगह “पटेल” कर लिया है। अतः आज से मेरे सर्विस रिकार्ड एवं मुझसे सम्बंधित सभी शासकीय एवं सार्वजनिक अभिलेखों में मेरा नाम वंशधारी पटेल लिखा, पढ़ा एवं जाना-पहचाना जावे।

पुराना नाम :

(वंशधारी कुर्मी)

(448-बी.)

नया नाम :

(वंशधारी पटेल)

पता—विश्वविद्यालय रोड वार्ड नं. 10,
पारस नगर, अनन्तपुर, रीवा।

CHANGE OF NAME

Be it known that I, MANDAKINI SHAHPURKAR W/o (LATE) NARAYAN DATTATRAY SHAHPURKAR, Age about 79 Years doing house hold and R/o House No. 50, Swadesh Nagar, Ashoka Garden, District Bhopal 462023 (M.P.) has change my name and hence forth I, will be known as NIRMALA SHAHAPURAKAR to MANDAKINI SHAHPURKAR in all future correspondence.

Old Name:

(NIRMALA SHAHAPURAKAR)

(449-B.)

New Name :

(MANDAKINI SHAHPURKAR)

Address—House No. 50, Swadesh Nagar,
Ashoka Garden, District Bhopal-462023 (M.P.).

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम नवीन कुमार पिता देवी लाल गुप्ता था। अब मैं अपना नाम बदलकर प्रवीण कुमार गुप्ता करना चाहता हूँ। अब मुझे इसी नाम से जाना एवं पहचाना जायेगा।

पुराना नाम :

(नवीन कुमार)

पिता—देवीलाल गुप्ता

(450-बी.)

नया नाम :

(प्रवीण कुमार गुप्ता)

निवासी—पोरसा, तहसील पोरसा,

जिला मुरैना (म.प्र.).

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैं शपथकर्ता श्रीनिवास धाकड़ उर्फ एस. एन. सिंह पुत्र श्री बाबू लाल धाकड़, उम्र (46 वर्ष), निवासी गढ़ीपुरा (तिलोंजरी), तहसील-कैलारस, जिला मुरैना (म.प्र.) का स्थाई निवासी हूँ। वर्तमान में मुझ शपथकर्ता को श्रीनिवास धाकड़ एवं एस. एन. सिंह दोनों ही नाम से जाना-पहचाना एवं पुकारा जाता है। दोनों मेरे ही नाम हैं, वर्तमान में मेरे दोनों ही नामों का प्रयोग हो रहा है। अतः मुझ शपथकर्ता को श्रीनिवास धाकड़ उर्फ एस. एन. सिंह नाम से जाना एवं पहचाना जावे।

पुराना नाम :

(श्रीनिवास धाकड़, एस. एन. सिंह)

(451-बी.)

नया नाम :

(श्रीनिवास धाकड़ उर्फ एस. एन. सिंह)

पुत्र—श्री बाबू लाल धाकड़,
नि.—गढ़ीपुरा (तिलोंजरी), तहसील कैलारस,
जिला मुरैना (म.प्र.).-476224.

आम सूचना

हर आम व खास को सूचित किया जाता है कि मेरी राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयीन शिक्षा संस्थान द्वारा संचालित कक्षा 10वीं (बोर्ड) की परीक्षा वर्ष 2010 में उत्तीर्ण की गई है। जिसका रोल नम्बर 10008192281 है। प्राप्त अंकसूची में मेरा नाम धनराज सेलिया अंकित है जोकि गलत है। शपथकर्ता का सही नाम धनराज झेलिया है मेरे पक्षकार की कक्षा 10वीं (बोर्ड) की अंकसूची में मेरा नाम धनराज सेलिया के स्थान पर धनराज झेलिया अंकित कराना।

जी. एस. वनाफर,
(एडवोकेट)।

(452-बी.)

नाम परिवर्तन

मैं, अज्ञहर महमूद, उम्र 31 वर्ष, पिता अब्दुल सत्तार, निवासी चारखंवा, नसीमाबाद, जबलपुर, मध्यप्रदेश का निवासी हूँ यह कि मेरे समस्त शैक्षणिक अभिलेखों, आधार कार्ड व वोटर आईडी में मेरा नाम अज्ञहर महमूद पिता अब्दुल सत्तार दर्ज है, लेकिन मेरे पेनकार्ड में मेरा नाम अज्ञहर महमूद अंसारी पिता अब्दुल सत्तार अंसारी दर्ज है. यह कि मेरे दोनों नाम सही व सत्य हैं. मुझे दोनों नाम से जाना जाता है. यह कि आज दिनांक से मुझे अज्ञहर महमूद पिता श्री अब्दुल सत्तार के नाम से जाना व पहचाना जाये.

पुराना नाम :

नया नाम :

(अज्ञहर महमूद अंसारी)

(अज्ञहर महमूद)

पिता-श्री अब्दुल सत्तार अंसारी.

पिता-श्री अब्दुल सत्तार.

(456-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि सुशील गुप्ता पुत्र श्री बाबूलाल गुप्ता, उम्र 41 साल, निवासी न्यू ब्लॉक, शिवपुरी का पुत्री कु. आध्या गोयल, आयु 12 साल, नाबालिंग है के विद्यालय में मुझ शपथकर्ता के नाम की स्पेलिंग गलत लिखी गयी है जो मेरे नाम की सही स्पेलिंग एस. यू. एस. एच. आई. एल. (Sushil Gupta) है एवं मेरे सरनेम गोयल के स्थान पर गुप्ता किया जाये. मेरी पुत्री के स्कूल रिकॉर्ड में मेरे नाम की स्पेलिंग सही की जावे एवं गोयल के स्थान पर गुप्ता करने की पुष्टि मैंने की है.

सूचनाकर्ता-

(सुशील गुप्ता)

पुत्र-श्री बाबूलाल गुप्ता,
निवासी-न्यू ब्लॉक, शिवपुरी.

(459-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि सुशील गुप्ता पुत्र श्री बाबूलाल गुप्ता, उम्र 41 साल, निवासी न्यू ब्लॉक, शिवपुरी का पुत्र एकाक्ष गोयल, आयु 12 साल, नाबालिंग है, जो मेरा पुत्र एकाक्ष गोयल के विद्यालय में मुझ शपथकर्ता के नाम की स्पेलिंग गलत लिखी गयी है जो मेरे नाम की सही स्पेलिंग एस. यू. एस. एच. आई. एल. (Sushil Gupta) है एवं मेरे सरनेम गोयल के स्थान पर गुप्ता किया जाये. यह कि मुझ शपथकर्ता की पुत्र के स्कूल रिकॉर्ड में मेरे नाम की स्पेलिंग सही की जावे एवं गोयल के स्थान पर गुप्ता करने की पुष्टि मैंने की है.

सूचनाकर्ता-

(सुशील गुप्ता)

पुत्र-श्री बाबूलाल गुप्ता,
निवासी-न्यू ब्लॉक, शिवपुरी.

(460-बी.)

आम सूचना

सभीजनों को सूचित किया जाता है कि साँई इंटरप्राइजेज, सतना जो शहिजना बिल्डिंग धबारी, सतना में स्थित है जिसमें संजय कुमार वर्मा, चान्सलर सिंह एवं अनिल सिंह तीनों उक्त कम्पनी को पार्टनरशिप में चला रहे थे. यह सूचित किया जाता है कि अनिल सिंह तनय रामबहादुर सिंह का कार्य ठीक नहीं है न ही उक्त कम्पनी में कोई हस्ताक्षेप है. पार्टनर संजय कुमार वर्मा तनय रमेशचन्द्र वर्मा की मृत्यु हो गई है. इस कारण से उक्त पार्टनर अनिल सिंह तनय रामबहादुर सिंह एवं संजय कुमार वर्मा तनय रमेशचन्द्र वर्मा को कम्पनी ने दोनों को पार्टनरशिप से हटाने का फैसला लिया है और नये पार्टनर प्रिन्स सिंह तनय शमर सिंह को जोड़ने का फैसला लिया है. अब कम्पनी का कोई भी सम्बन्ध अनिल सिंह तनय रामबहादुर सिंह एवं संजय कुमार वर्मा तनय रमेशचन्द्र वर्मा से नहीं है. इनमें किसी भी प्रकार से कोई भी कान्ट्रेक्ट और लेन-देन न किया जावे, क्योंकि इन्हें कम्पनी के पार्टनरशिप से हटाया जा चुका है.

M/s. Sai Enterpris

चान्सलर सिंह,

(Partner).

(453-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मेसर्स स्नेहा कान्स्ट्रक्शन कम्पनी, जयसिंहनगर, शहडोल से दिनांक 01-08-2017 से पार्टनर श्री सिद्धनाथ शर्मा को पृथक् कर दिया गया है, शेष सभी पार्टनर यथावत् फर्म में बने रहेंगे।

मेसर्स स्नेहा कान्स्ट्रक्शन कम्पनी,

रावेन्द्र कुमार शर्मा,

(पार्टनर).

जयसिंहनगर, शहडोल (म.प्र.).

(454-बी.)

घोषणा-पत्र

यह कि मैं, संजय कुमार कापड़ी तनय स्व. श्री घनश्याम दास कापड़ी, निवासी भरहुत नगर, सतना का होकर घोषणा करता हूँ कि मैं मेसर्स श्री साई डेवलपर्स रजी. ऑफिस घनश्याम विहार कॉलोनी, सतना में भागीदार था। उक्त फर्म से मैंने दिनांक 08-09-2017 को रिटायरमेंट ले लिया है एवं उक्त फर्म से मेरा भविष्य में कोई भी वास्ता सरोकार नहीं रहेगा।

For- M/s Shri Sai Developers,

संजय कुमार कापड़ी,

(Partner).

(455-बी.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स अमित कन्स्ट्रक्शन रूम नंबर 101, प्रथम मर्जिल, 49 जयरामपुर कॉलोनी, इन्दौर में स्थित है जो कि असिस्टेन्ट रजिस्ट्रार ऑफ सोसायटी, इन्दौर में फर्म के रजिस्ट्रार में क्रमांक 03/27/03/00227/08 तथा सन् 2007-2008 में पंजीकृत है जिसमें पूर्व में चार साझेदार देवीलाल राजन, श्रीमती विमला राजन, श्री विजय राजन श्रीमती स्वाति राजन थे। जिसकी संरचना में परिवर्तन किया जा रहा है तथा तीन नये साझेदार श्री अमित राजन, श्री दिलीप राठौर, श्री दिपक राठौर को दिनांक 21-08-2017 से सम्मिलित हो चुके हैं, जिस किसी को कोई भी व्यक्ति या संस्था को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो, तो सात दिवस के अंदर प्रस्तुत करें, अतः विधिवत सूचित हो।

फोर-मेसर्स अमित कन्स्ट्रक्शन,

देवीलाल राजन,

(पार्टनर)

रूम नंबर 101, प्रथम मर्जिल,

49, जयरामपुर कॉलोनी, इन्दौर (म.प्र.).

(457-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स यूनीवर्स फेब्रीकेटर एण्ड ईरीकेटर स्थित ए. बी. रोड, नूराबाद, जिला मुरैना है जिसका पंजीयन क्रमांक ARG/Firm/21, दिनांक 07 सितम्बर, 2002 है। जिसमें दिनांक 06-06-2017 से श्री राम बिहारी यादव पुत्र श्री जयनाथ यादव, निवासी ए. बी. रोड, नूराबाद, जिला ग्वालियर की मृत्यु हो जाने से फर्म से पृथक् हो गये हैं एवं इसी दिनांक 06-06-2017 से श्री मनोज यादव पुत्र श्री राम बिहारी यादव फर्म में नवीन भागीदार के रूप में सम्मिलित हो गये हैं। आमजन एवं सर्वजन सूचित हों।

फर्म-यूनीवर्स फेब्रीकेटर एण्ड ईरीकेटर,

राम मुनीष शुक्ला,

(भागीदार)

ए. बी. रोड, नूराबाद, जिला मुरैना (म.प्र.).

(458-बी.)

विविध

आयुक्तों तथा जिलाध्यक्षों की सूचनाएं

कार्यालय कलेक्टर, जिला ग्वालियर

ग्वालियर, दिनांक 28 सितम्बर, 2017

क्र./क्यू/2-ख/स्था./6-17/2/2013.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक क्यू/2-ख/स्था./6-17/2/2013/9976, दिनांक 16-08-2017 से श्री शिवराज वर्मा, अपर कलेक्टर एवं अपर जिला दण्डाधिकारी ग्रामीण तथा शहरी को धारा-25 पुलिस एक्ट के तहत् प्रकरणों का निराकरण किए जाने हेतु अधिकृत किया गया था।

2. अतः प्रशासनिक कार्य सुविधा की दृष्टि से उपरोक्त कार्यालयीन समसंचयक आदेश क्रमांक 9976, दिनांक 16 अगस्त, 2017 में आंशिक संशोधन करते हुए निम्नांकित अनुविभागीय अधिकारियों (पदेन) (सहायक कलेक्टर/संयुक्त कलेक्टर/डिप्टी कलेक्टर) को पुलिस एक्ट, 1861 की धारा-25 पुलिस एक्ट के तहत जप्त वाहनों के प्रकरणों का निराकरण किए जाने हेतु एतद्वारा अधिकृत किया जाता है:-

1. अनुविभागीय अधिकारी एवं दण्डाधिकारी पदेन डबरा.
 2. अनुविभागीय अधिकारी एवं दण्डाधिकारी पदेन भितरवार.
 3. अनुविभागीय अधिकारी एवं दण्डाधिकारी पदेन ग्वालियर (शहरी).
 4. अनुविभागीय अधिकारी एवं दण्डाधिकारी पदेन ग्वालियर (ग्रामीण).
 5. अनुविभागीय अधिकारी एवं दण्डाधिकारी पदेन झौंसी रोड.
 6. अनुविभागीय अधिकारी एवं दण्डाधिकारी पदेन लशकर.
 7. अनुविभागीय अधिकारी एवं दण्डाधिकारी पदेन मुरार.
 8. अनुविभागीय अधिकारी एवं दण्डाधिकारी पदेन घाटीगाँव.
3. उक्त आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

(कलेक्टर द्वारा आदेशित)

शिवराज वर्मा,
अपर जिला मजिस्ट्रेट

(1564)

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी अनुविभाग, देवास

देवास, दिनांक 25 सितम्बर, 2017

[पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 की धारा-5(2) व पब्लिक ट्रस्ट नियम-1962 के नियम-5(1) के अन्तर्गत]

क्र./570/रीडर/2017.—अध्यक्ष श्री अरूणकुमार पिता श्री नंदलाल जैन, निवासी 69, सिविल लाईन, देवास द्वारा इस न्यायालय में “श्री मुनिसुब्रत स्वामी जैन श्वेताम्बर मूर्ति पूजक, धार्मिक एवं पारमार्थिक न्यास” 69 सिविल लाईन, देवास के नाम से ट्रस्ट पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है। आवेदन-पत्र के साथ ट्रस्ट का घोषणा-पत्र उद्देश्य नियमावली एवं ट्रस्ट की प्रस्तावना एवं उसकी रूपरेखा आदि के साथ संलग्न किया गया है। ट्रस्ट पंजीयन के सम्बन्ध में पंजीयन शुल्क रूपये 5/- के चालान की प्रति के साथ संलग्न की गई है।

अतः “श्री मुनिसुब्रत स्वामी जैन श्वेताम्बर मूर्ति पूजक, धार्मिक एवं पारमार्थिक न्यास” 69, सिविल लाईन, देवास के पंजीयन हेतु यदि किसी व्यक्ति विशेष अथवा कोई संस्था को किसी भी प्रकार की कोई दावा/आपत्ति हो, तो वह अपनी लिखित आपत्ति आगामी पेशी दिनांक 24 अक्टूबर, 2017 को समक्ष में उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है। नियत समयावधि के पश्चात् प्राप्त होने वाली किसी भी प्रकार की दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा तथा प्रकरण में आगामी कार्यवाही सम्पादित की जावेगी।

आज दिनांक 25 सितम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

पुरुषोत्तम कुमार,
रजिस्ट्रार,

(1554)

न्यायालय पंजीयक सार्वजनिक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, बालाघाट

रा. प्र. क्र. 0001 बी-113 वर्ष 2016-17.

ग्राम बालाघाट प. ह. नं. 13/2.

बालाघाट, दिनांक 27 सितम्बर, 2017

क्र./1824/प्रस्तु.1/2017.—यह कि सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि न्यासकर्ता अध्यक्ष, श्री निर्मल सोनी पिता श्री राधेश्याम सोनी, निवासी वार्ड नं. 19, सिंधी मोहल्ला, बालाघाट द्वारा सार्वजनिक “हनुमान मंदिर ट्रस्ट” हनुमान चौक बालाघाट के पंजीयन हेतु लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 -30 की धारा-4) के अंतर्गत आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति के लिये लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिए आवेदन-पत्र किया है। एतद्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन-पत्र दिनांक 17 अक्टूबर, 2017 के दिवस पर मेरे न्यायालय में विचार में लिया जावेगा।

अतः जिस किसी भी व्यक्ति को आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुये कथित न्यास की संपत्ति में हितबद्ध, कोई व्यक्ति को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए। उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जावेगा।

-अनुसूची-

(लोक न्यास का नाम और पता व संपत्ति का विवरण)

ग्राम का नाम	प. ह. नं.	चल/अचल संपत्ति	विवरण
बालाघाट	13/2	नगद जमा राशि-6,77,313.00	श्री निर्मल सोनी पिता श्री राधेश्याम सोनी, निवासी वार्ड नं. 19 सिंधी मोहल्ला, बालाघाट मध्यप्रदेश.

आज दिनांक 27 सितम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा सहित से जारी किया गया।

(1555)

रा. प्र. क्र. 0002 बी-113 वर्ष 2016-17.

ग्राम बालाघाट प. ह. नं. 13/2.

बालाघाट, दिनांक 27 सितम्बर, 2017

क्र./1831/प्रस्तु.1/2017.—यह कि सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि न्यासकर्ता अध्यक्ष श्री हरिओम अग्रवाल पिता स्व. श्री बनवारी अग्रवाल, निवासी वार्ड नं. 29 बालाघाट द्वारा सार्वजनिक “दुर्गा मंदिर ट्रस्ट हनुमान चौक बालाघाट के पंजीयन हेतु लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 –30 की धारा-4) के अन्तर्गत आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट संपत्ति के लिये लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिए आवेदन-पत्र किया है। एतद्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन-पत्र दिनांक 17 अक्टूबर, 2017 के दिवस पर मेरे न्यायालय में विचार में लिया जावेगा।

अतः जिस किसी भी व्यक्ति को आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुये कथित न्यास की संपत्ति में हितबद्ध, कोई व्यक्ति को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए, उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जावेगा।

-अनुसूची-

(लोक न्यास का नाम और पता व संपत्ति का विवरण)

ग्राम का नाम	प. ह. नं.	चल/अचल संपत्ति	विवरण
बालाघाट	13/2	बैंक 4,83,074.00 नगद 17010.00	श्री हरिओम अग्रवाल पिता स्व. श्री बनवारी अग्रवाल, निवासी वार्ड नं. 29 बालाघाट मध्यप्रदेश.

आज दिनांक 27 सितम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा सहित से जारी किया गया।

(1556)

ओ. पी. सनोडिया,

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व). .

न्यायालय पंजीयक, सार्वजनिक लोक न्यास, बुरहानपुर

प्र.क्र. /बी/113-2016-17.

प्रारूप-तृतीय

[नियम पाँच-(1) देखिये]

(मध्यप्रदेश सार्वजनिक लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-04 के अन्तर्गत)

एतद्वारा सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि लोक न्यासों के पंजीयक बुरहानपुर, जिला बुरहानपुर के समक्ष यह कि श्री प्रभाकर शंकर गारकर वर्किंग ट्रस्टी एवं अध्यक्ष, श्री कोट्ठी समाज मांगलिक भवन ट्रस्ट, ग्राम शिकारपुरा, तहसील एवं जिला बुरहानपुर का लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिये “लोक न्यास” के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिये आवेदन किया है। एतद्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन दिनांक 20 सितम्बर, 2017 को मेरे न्यायालय में विचार में लिया जावेगा।

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुये कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिये और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिशः अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिये। उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जावेगा।

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता सम्पत्ति का विवरण)

1. लोक न्यास का नाम व पता : वर्किंग ट्रस्टी एवं अध्यक्ष, श्री कोष्टी समाज मांगलिक भवन ट्रस्ट, ग्राम शिकारपुरा, तहसील एवं जिला बुरहानपुर.
2. चल सम्पत्ति : सहकारी केन्द्रीय बैंक, बुरहानपुर में न्यास के नाम से खोले जाने वाले खाते में न्यासियों द्वारा जमा की जाने वाली नगद राशि रु. 19,000/-.

सोहन कनाश,

पंजीयक.

(1557)

न्यायालय रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, इन्दौर

एतद्वारा सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि श्री कन्धारी धार्मिक ट्रस्ट, पंजीयन क्रमांक 116/81, कार्यालय पता-64, राजमहल कॉलोनी, लाल बाग कम्पाउण्ड, इन्दौर तर्फे अध्यक्ष श्री चन्द्रभान ग्रोवर द्वारा श्री कन्धारी धर्मशाला (ट्रस्ट की सम्पत्ति) राजमहल कॉलोनी इन्दौर स्थित सम्पत्ति (धर्मशाला) को न्यास द्वारा पारित ठहराव प्रस्ताव दिनांक 25 जनवरी, 2015 एवं 02 जुलाई, 2017 अनुसार, न्यास हित में विक्रय किये जाने हेतु आवेदन-पत्र मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-14 के अंतर्गत अनुमति चाही गई है।

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्यतार के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं।

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

- ट्रस्ट का नाम : “श्री कन्धारी धार्मिक ट्रस्ट”.
- पता : कार्यालय पता-64, राजमहल कॉलोनी, लाल बाग कम्पाउण्ड, इन्दौर (म.प्र.).
- अचल सम्पत्ति : अचल सम्पत्ति प्रस्तुत आवेदन अनुसार, श्री कन्धारी धर्मशाला (ट्रस्ट की सम्पत्ति) राजमहल कॉलोनी, इन्दौर.

आज दिनांक 22 सितम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया।

नीता राठौर,
रजिस्ट्रार.

(1558)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, अनुविभाग होशंगाबाद

प्र.क्र.1/बी-113(1)-2017-18.

फार्म-4

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 की धारा-5(2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम-1963 के नियम-5(1) के अंतर्गत]

आवेदक “दक्षिणेश्वर माता महाकाली सार्वजनिक न्यास सतरस्ता होशंगाबाद” द्वारा मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट, एक्ट 1951 की धारा-4 के अंतर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है।

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् 30 दिन के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्यतार के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

- पब्लिक ट्रस्ट का नाम : “दक्षिणेश्वर माता महाकाली सार्वजनिक न्यास सतरस्ता होशंगाबाद”.
- पता : “दक्षिणेश्वर माता महाकाली सार्वजनिक न्यास सतरस्ता होशंगाबाद”.
- अचल सम्पत्ति : निरंक
- चल सम्पत्ति : रुपये 88,000/-

आज दिनांक 03 अक्टूबर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पदमुद्रा से प्रसारित किया गया।

मनोज उपाध्याय,
पंजीयक.

(1565)

अन्य सूचनाएं

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन

उज्जैन, दिनांक 18 सितम्बर, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/3018.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 743, दिनांक 08 मार्च, 2016 द्वारा गीताश्री प्रिंटिंग प्रेस सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन जिसका पंजीयन क्रमांक 1797, दिनांक 19 अक्टूबर, 2012 को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्रीमती स्वर्णलता दलाल, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक.....को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1542)

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1507, दिनांक 05 जुलाई, 2013 द्वारा श्री अवन्तिका साख सहकारी संस्था मर्या., उज्जैन जिसका पंजीयन क्रमांक 526, दिनांक 16 अप्रैल, 1981 को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री समीर हरदास, उप-अंकेश्वक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक.....को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1542-A)

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/3020.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1146, दिनांक 25 मई, 2015 द्वारा वन खेतीहर मजदूर कामगार सहकारी संस्था मर्या., डाबरी जिसका पंजीयन क्रमांक....., दिनांक..... को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. एल. परमार, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक.....को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

(1542-B)

उज्जैन, दिनांक 18 सितम्बर, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/3021.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1147, दिनांक 25 मई, 2015 द्वारा गायत्री महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था

मर्या., निपानिया जिसका पंजीयन क्रमांक....., दिनांक..... को मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. एल. परमार, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा संस्था की लेनदारी एवं देनदारी संबंधी सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है। संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला उज्जैन, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक..... को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

ओ. पी. गुप्ता,
उप-पंजीयक।

(1542-C)

कार्यालय उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला देवास

देवास, दिनांक 18 सितम्बर, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(4) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/1762.—प्रताप गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., देवास, पंजीयन क्रमांक....., दिनांक 11 नवम्बर, 1981 को आदेश क्रमांक-1126, दिनांक 28 मई, 2014 से परिसमापन में लाया जाकर श्री डी. एस. बाल्के को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

संस्था के सदस्यों के आवेदन प्राप्ति के पश्चात् परिसमापक द्वारा संस्था की आमसभा बुलाई गयी एवं सभा में उपस्थित सदस्यों के सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पारित किये जाने पर कि संस्था की आर्थिक उन्नति के लिये पुनर्जीवित किया जाये। यह भी प्रस्ताव पारित किया है कि संस्था जिन उद्देश्यों के लिये पंजीकृत की गयी थी, वह उद्देश्य अभी पूर्ण नहीं हुए हैं। आमसभा के परिप्रेक्ष्य में परिसमापक द्वारा संस्था को पुनर्जीवित किये जाने का आवेदन कार्यालय में प्रस्तुत किया गया है।

परिसमापक के आवेदन से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था के सदस्यों के हित में संस्था का अस्तित्व में बने रहना आवश्यक है। उक्त के प्रकाश में यह प्रतीत होता है कि संस्था को पुनर्जीवित किया जाये।

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69(4) के अन्तर्गत प्रताप गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., देवास का परिसमापन आदेश निरस्त करता हूँ एवं संस्था के कार्य संचालन के लिये श्री डी. एस. बाल्के को संस्था का प्रशासक नियुक्त करता हूँ एवं उन्हें निर्देशित किया जाता है कि तीन माह में संस्था का लम्बित अंकेक्षण पूर्ण करायें एवं संस्था के संचालक मण्डल के निर्वाचन सपन्न कराने के लिये आवेदन कार्यालय में प्रस्तुत करें।

यह आदेश आज दिनांक 18 सितम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(1545)

देवास, दिनांक 21 सितम्बर, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/1763.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 266, दिनांक 10 फरवरी, 2016 मनीराईस साख सहकारी संस्था मर्या., देवास, तहसील देवास, जिला देवास जिसका पंजीयन क्रमांक 20, दिनांक 04 फरवरी, 2014 है, जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री धर्मेन्द्र मालवीय, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है।

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-आयुक्त सहकारिता, जिला देवास मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अंतर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 21 सितम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(1545-A)

देवास, दिनांक 21 सितम्बर, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/1781.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 2286, दिनांक 01 नवम्बर, 2015 सहकारिता विभाग कर्मचारी साख सहकारी संस्था मर्या., देवास, तहसील देवास, जिला देवास जिसका पंजीयन क्रमांक 106, दिनांक 15 जुलाई, 1963 है, जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री बी. के. मिश्रा, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है।

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-आयुक्त सहकारिता, जिला देवास मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अंतर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 21 सितम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(1545-B)

देवास, दिनांक 21 सितम्बर, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/1782.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 840, दिनांक 30 अप्रैल, 2016 रोशनी प्राथ. उपभोक्ता सहकारी संस्था मर्या., देवास, तहसील देवास, जिला देवास जिसका पंजीयन क्रमांक 952, दिनांक 16 जून, 2001 है, जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्रीमती तरुणा ठाकुर, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है।

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-आयुक्त सहकारिता, जिला देवास मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अंतर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 21 सितम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(1545-C)

देवास, दिनांक 21 सितम्बर, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/1783.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1643, दिनांक 22 सितम्बर, 2015 तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., टिगरिया गोगा,

तहसील देवास, जिला देवास जिसका पंजीयन क्रमांक 602, दिनांक 01 सितम्बर, 1987 है, जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्रीमती तरुणा ठाकुर, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है।

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-आयुक्त सहकारिता, जिला देवास मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 21 सितम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(1545-D)

देवास, दिनांक 21 सितम्बर, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/1784.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 226, दिनांक 02 मार्च, 2011 तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., देवरी, तहसील बागली, जिला देवास जिसका पंजीयन क्रमांक 478, दिनांक 05 नवम्बर, 1982 है, जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री धर्मेन्द्र मालवीय, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है।

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-आयुक्त सहकारिता, जिला देवास मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 21 सितम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(1545-E)

देवास, दिनांक 21 सितम्बर, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/1785.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 163, दिनांक 27 सितम्बर, 2006 द्वारा तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कांटाफोड़, तहसील सतवास, जिला देवास जिसका पंजीयन क्रमांक 406, दिनांक 31 अक्टूबर, 1981 है, जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री पर्वतसिंह निगवाल, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है।

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-आयुक्त सहकारिता, जिला देवास मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 21 सितम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(1545-F)

देवास, दिनांक 21 सितम्बर, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/1786.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 870, दिनांक 30 अप्रैल, 2016 नवीन केमिकल्स कर्मचारी साख सहकारी संस्था मर्या., देवास, तहसील देवास, जिला देवास जिसका पंजीयन क्रमांक 723, दिनांक 22 मार्च, 1991 है, जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्रीमती तरुणा ठाकुर, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है।

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-आयुक्त सहकारिता, जिला देवास मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अंतर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 21 सितम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(1545-G)

देवास, दिनांक 21 सितम्बर, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/1787.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1426, दिनांक 05 अगस्त, 2017 मांतगी महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., देवास, तहसील देवास, जिला देवास जिसका पंजीयन क्रमांक 45, दिनांक 04 फरवरी, 2014 है, जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री डॉ. के. आर्य, उप-अंकेक्षित को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है।

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-आयुक्त सहकारिता, जिला देवास मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अंतर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 21 सितम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(1545-H)

देवास, दिनांक 21 सितम्बर, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/1789.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 2168, दिनांक 31 दिसम्बर, 2015 नोबल मुद्रणालय सहकारी संस्था मर्या., देवास, तहसील देवास, जिला देवास जिसका पंजीयन क्रमांक 843, दिनांक 17 दिसम्बर, 1997 है, जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री धर्मन्द्र मालवीय, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है।

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-आयुक्त सहकारिता, जिला देवास मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अंतर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 21 सितम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(1545-I)

देवास, दिनांक 25 सितम्बर, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/1820.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1781, दिनांक 21 अगस्त, 2008 देवी गायत्री प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., पिपलरावा, तहसील सोनकच्छ, जिला देवास जिसका पंजीयन क्रमांक 1026, दिनांक 25 जुलाई, 2002 है, जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्रीमती प्रेरणा जाम्बेकर, उप-अंकेश्वक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेश्वक निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है।

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-आयुक्त सहकारिता, जिला देवास मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अंतर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 25 सितम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(1545-J)

देवास, दिनांक 25 सितम्बर, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/1821.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 906, दिनांक 02 मई, 2009 दुर्गा साख सहकारी संस्था मर्या., देवास, तहसील देवास, जिला देवास जिसका पंजीयन क्रमांक 962, दिनांक 16 अगस्त, 2001 है, जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री ए. के. जैन, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेश्वक निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है।

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-आयुक्त सहकारिता, जिला देवास मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अंतर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 25 सितम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(1545-K)

देवास, दिनांक 25 सितम्बर, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/1822.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 882, दिनांक 20 अप्रैल, 2010 तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पुंजापुरा,

तहसील बागली, जिला देवास जिसका पंजीयन क्रमांक 570, दिनांक 12 सितम्बर, 1984 है, जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री ए. के. जैन, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है।

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-आयुक्त सहकारिता, जिला देवास मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 25 सितम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

(1545-L)

देवास, दिनांक 25 सितम्बर, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/1823.—कार्यालयीन आदेश क्रमांक 1848, दिनांक 27 जुलाई, 2013 तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., हाटपिपल्या, तहसील हाटपिपल्या, जिला देवास जिसका पंजीयन क्रमांक 413, दिनांक 16 अक्टूबर, 1981 है, जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री ए. के. जैन, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था।

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है।

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है।

अतः मैं, डॉ. मनोज जायसवाल, उप-आयुक्त सहकारिता, जिला देवास मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 25 सितम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है।

मनोज जायसवाल,
उप-पंजीयक।

(1545-M)

कार्यालय उप पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला देवास

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

उप/सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला देवास द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन क्रमांक/दिनांक
1	2	3	4
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., चिडावद	1175/10-05-2007	1021/08-04-2013
2.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., भरियाबावडी	1102/11-10-2005	1197/16-07-2015
3.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कैलोद	744/29-10-1991	811/30-04-2016

1	2	3	4
4.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., महुडिया	592/02-04-1992	405/18-02-2016
5.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., भेरुपुरा	973/10-09-2001	1923/14-12-2016
6.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रामगढ़	698/16-05-1990	697/02-04-2016
7.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गोंदलिया	1106/20-10-2005	1199/16-07-2015
8.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., चिडावद	280/10-01-1976	337/16-12-2016
9.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., दल्लोतरमण्डी	383/18-06-1976	701/02-04-2016
10.	श्री अम्बे रेत खदान खनिज सह. संस्था मर्या., देवास	857/01-09-1998	1236/20-07-2015

सहकारी अधिनियम की धारा-71 (1) के अन्तर्गत परिसमापन दिनांक से संस्थाओं की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्ठित हो गई हैं। अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों को इस सूचना-पत्र के जारी करने के दिनांक से 60 दिवस के अन्दर मय प्रमाण के यदि कोई हो तो लिखित रूप से मेरे कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, ए. बी. रोड, देवास में कार्यालयीन दिवसों में दोपहर 12.00 बजे से 2.00 बजे तक प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बाटवारे से वर्चित होने से दायित्वाधीन होंगे, समयावधि उपरान्त उनके कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होंगी तथा संस्थाओं की लेखा-पुस्तकों में लेखबद्ध दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किये गये गये समझे जावेंगे।

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां, डेड स्टॉक संस्था का रिकार्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपें, यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियों या अभिलेख एवं रिकार्ड, डेड स्टॉक नहीं सौंपें गये हैं तो संबंधित के विरुद्ध उनकी वसूलने हेतु विधिवत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी संबंधित की रहेगी।

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख एवं आस्तियां समस्त प्रयासों के बावजूद प्राप्त नहीं होती हैं तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे, आपत्तियों का निराकरण गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दर्शाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियां बोगस/शून्यकाल मानकर तदानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 07 सितम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई है।

विनोद सरयाम,

(1546)

परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक।

कार्यालय उप पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला देवास

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

उप/सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला देवास द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन क्रमांक/दिनांक
1	2	3	4
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., जीवाजीपुरा	1228/15-05-2006	1441/09-08-2017
2.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., दयालनगर	1188/03-09-2007	1441/09-08-2017
3.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., देवधर राजपुरा	1570/22-06-2015	1441/09-08-2017
4.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सालमखेड़ी	1428/06-06-2006	1441/09-08-2017
5.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कुमारियाराव	439/26-06-1982	1641/23-09-2015

सहकारी अधिनियम की धारा-71 (1) के अन्तर्गत परिसमापन दिनांक से संस्थाओं की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्ठित हो गई हैं। अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों को इस सूचना-पत्र के जारी करने के दिनांक से 60 दिवस के अन्दर मय प्रमाण के यदि कोई हो तो लिखित रूप से मेरे कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, ए. बी. रोड, देवास में कार्यालयीन दिवसों से दोपहर 12.00 बजे से 2.00 बजे तक प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे, समयावधि उपरान्त उनके कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होंगी तथा संस्थाओं की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां, डेड स्टॉक संस्था का रिकार्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपें यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियों या अभिलेख एवं रिकार्ड, डेड स्टॉक नहीं सौंपें गये हैं तो संबंधित के विरुद्ध उनकी वसूलने हेतु विधिवत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी संबंधित की रहेगी।

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख एवं आस्तियां समस्त प्रयासों के बावजूद भी प्राप्त नहीं होती हैं तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे, आपत्तियों का निराकरण गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दर्शाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियां बोगस/शून्यकाल मानकर तदानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 07 सितम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई है।

अनिता मेहरा,

(1546-A)

परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक।

कार्यालय परिसमापक एवं उप/सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, देवास

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

उप/सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला देवास द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन क्रमांक/दिनांक
			1
1.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था, आनंगपुरडुंगरिया	1196/31-03-2008	1441/09-08-2017
2.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बागनखेडा	465/20-07-1982	1441/09-08-2017
3.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रिछडिया	1275/25-07-2012	1441/09-08-2017
4.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था, डाबलाखालसा	665/25-08-1989	1441/09-08-2017
5.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., भवरास	1042/23-12-2002	1441/09-08-2017

सहकारी अधिनियम की धारा-71 (1) के अन्तर्गत परिसमापन दिनांक से संस्थाओं की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्ठित हो गई हैं। अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों को इस सूचना-पत्र के जारी करने के दिनांक से 60 दिवस के अन्दर मय प्रमाण के यदि कोई हो तो लिखित रूप से मेरे कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, ए. बी. रोड, देवास में कार्यालयीन दिवसों से दोपहर 12.00 बजे से 2.00 बजे तक प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे, समयावधि उपरान्त उनके कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होंगी तथा संस्थाओं की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां, डेड स्टॉक संस्था का रिकार्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपें यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियों या अभिलेख एवं रिकार्ड, डेड स्टॉक नहीं सौंपें गये हैं तो संबंधित के विरुद्ध उनकी वसूलने हेतु विधिवत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी संबंधित की रहेगी।

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख एवं आस्तियां समस्त प्रयासों के बावजूद भी प्राप्त नहीं होती हैं तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे, आपत्तियों का निराकरण गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दर्शाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियां बोगस/शून्यकाल मानकर तदानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 10 सितम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई है।

डी. के. आर्य,

(1546-B)

परिसमापक एवं उप-अंकेश्वक.

कार्यालय परिसमापक एवं उप/सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, देवास

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

उप/सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला देवास द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत अधोहस्ताक्षरकर्ता को परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन	परिसमापन
		क्रमांक/दिनांक	क्रमांक/दिनांक
1	2	3	4
1.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., टोककला	350/19-08-1980	1423/05-08-2017
2.	अन्त्यावसायी सरस्वती रेत खदान सहकारी संस्था मर्या., देवमुण्डला	750/19-05-1992	1420/05-08-2017
3.	अन्त्यावसायी गायत्री रेत खदान सहकारी संस्था मर्या., गांगरदी	749/09-03-1992	1422/05-08-2017
4.	अन्त्यावसायी वीर बजरंग यातायात सहकारी संस्था मर्या., टोककला	711/15-11-1994	1433/05-08-2017
5.	रुदाडिया बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बरखेडा	1527/26-12-2014	1387/03-08-2017
6.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., उपडीगुर्जर	1086/03-08-2004	1441/09-08-2017
7.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बनारसी	1132/15-05-2006	1441/09-08-2017
8.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., भटोनीपरमार	359/16-09-1981	1441/09-08-2017
9.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., जमोड़ी	668/25-08-1989	1441/09-08-2017
10.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रन्धनखेडी	1176/10-05-2007	1441/09-08-2017
11.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., भिलाखेडी	659/25-08-1989	1441/09-08-2017
12.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सिंदनी	1377/12-09-2013	1441/09-08-2017
13.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., रतनखेडी	1017/09-07-2002	1441/09-08-2017
14.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., फतनपुर	1195/31-01-2008	1441/09-08-2017

सहकारी अधिनियम की धारा-71 (1) के अन्तर्गत परिसमापन दिनांक से संस्थाओं की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेच्छित हो गई हैं। अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों को इस सूचना-पत्र के जारी करने के दिनांक से 60 दिवस के अन्दर मय प्रमाण के यदि कोई हो तो लिखित रूप से मेरे कार्यालय उप-आयुक्त सहकारिता, जिला देवास 320 पटवर्धन पेट्रोल पम्प के पास, ए. बी. रोड, देवास में कार्यालयीन दिवसों में दोपहर 12.00 बजे से 2.00 बजे तक प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वर्चित होने से दायित्वाधीन होंगे, समयावधि उपरान्त उनके कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होंगी तथा संस्थाओं की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां, डेड स्टॉक संस्था का रिकार्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपें यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियों या अभिलेख एवं रिकार्ड, डेड स्टॉक नहीं सौंपें गये हैं तो संबंधित के विरुद्ध उनकी वसूलने हेतु विधिवत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी संबंधित की रहेगी।

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख एवं आस्तियां समस्त प्रयासों के बावजूद भी प्राप्त नहीं होती हैं तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे, आपत्तियों का निराकरण गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दर्शाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियां बोगस/शून्यकाल मानकर तदानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 23 अगस्त, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई है।

मनीष चौधरी,

(1546-C)

परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

कार्यालय परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक, सहकारी समितियां, ग्वालियर

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत]

उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला ग्वालियर द्वारा निम्न सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक/दिनांक	परिसमापन क्रमांक/दिनांक
1	2	3	4
1.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गोहिन्दा, भितरवार	555/13-03-1991	1797/06-07-2006
2.	रीना महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., करहिया, जिला ग्वालियर	-	714/25-03-2017
3.	पीताम्बरा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., चीनौर, जिला ग्वालियर	877/14-09-1998	708/25-03-2017
4.	पंचमहल प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., आंतरी, जिला ग्वालियर	929/17-07-2003	723/25-03-2017

सहकारी अधिनियम की धारा-71 (1) के अन्तर्गत परिसमापन दिनांक से संस्थाओं की समस्त अस्तियां परिसमापक में वेचित हो गई हैं। अतः मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57 (सी) के अन्तर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों को इस सूचना-पत्र के जारी करने के दिनांक से 60 दिवस के अन्दर मय प्रमाण के यदि कोई हो तो लिखित रूप से मेरे कार्यालय सहायक पंजीयक (अंकेक्षण) सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर में कार्यालयीन दिवसों में दोपहर 12.00 बजे से 3.00 बजे तक प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहूकारण/दावेदारण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंतवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे, समयावधि उपरान्त उनके कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होंगी तथा संस्थाओं की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे।

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां, डेड स्टॉक संस्था का रिकार्ड किसी के पास हो तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपें यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियों या अभिलेख एवं रिकार्ड, डेड स्टॉक नहीं सौंपें गये हैं तो संबंधित के विरुद्ध उनको वसूलने हेतु विधिवत वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी संबंधित की रहेगी।

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख एवं आस्तियां समस्त प्रयासों के बावजूद प्राप्त नहीं होती हैं तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे, आपत्तियों का निराकरण गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दर्शाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियां बोगस/शून्यकाल मानकर तदानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी।

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 04 अक्टूबर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया।

एफ. ए. खान,

(1548)

परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.

कार्यालय उपायुक्त सहकारिता एवं उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, ग्वालियर

जिले में पदस्थ कर्मचारियों के स्थानान्तरित/सेवानिवृत्त होने के कारण कार्य सुविधा की दृष्टि से मैं, सी. पी. एस. भदौरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर स्थानान्तरित/सेवानिवृत्त कर्मचारियों को परिसमापक पद के दायित्व से मुक्त करते हुये उनके स्थान पर उनके

नाम के सम्मुख दर्शित कर्मचारियों को परिसमापक नियुक्त करता हूँ:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक	पूर्व परिसमापक का नाम	वर्तमान परिसमापक
1	2	3	4	5	6
1.	हेल्डी फ्रूड मशरूम सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर.	802/26-02-1995	1033/08-04-2005	श्रीमती नम्रता अग्रवाल, सह. नि.	श्री आलोक साहू, उप अंकेक्षक.
2.	महाराजा अग्रसेन साख सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर.	804/30-06-1995	1086/30-03-2016	श्रीमती नम्रता अग्रवाल, सह. नि.	श्री आलोक साहू, उप अंकेक्षक.
3.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गोहिन्दा.	555/13-03-1991	1797/06-07-2006	श्री जी. डी. परिहार, अंकेक्षण अधिकारी.	श्री एफ. ए. खान, व. स. नि. व सहकारिता विस्तार अधिकारी.
4.	भदावर तेल उद्योग सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर.	430/21-02-1984	999/29-03-2016	श्री जी. डी. परिहार, अंकेक्षण अधिकारी.	श्री भगवत शरण चौबे, उप अंकेक्षक.
5.	नवयुवक श्रमिक सहयोग साख सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर.	97/09-08-1960	976/07-04-2005	श्री जी. डी. परिहार, अंकेक्षण अधिकारी.	श्री भगवत शरण चौबे, उप अंकेक्षक.
6.	अनुसूचित जाति महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., धुआं.	1902/23-11-2002	1080/30-03-2016	श्री जी. डी. परिहार, अंकेक्षण अधिकारी.	श्री आनंद माझी, सह. नि.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

एफ. ए. खान,

(1549)

परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.

कार्यालय उप-पंजीयक सहकारी समितियां, जिला ग्वालियर

ग्वालियर, दिनांक 25 मार्च, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/714.—रीना महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., करहिया, जिला ग्वालियर जिसका पंजीयन क्र./डी.आर./जी.डब्लू.आर./....., दिनांक..... है, के सम्बंध में सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर के द्वारा अवगत कराया है कि संस्था ने पंजीयन दिनांक से आज दिनांक तक संस्था का अंकेक्षण नहीं कराया है एवं पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने के कारण यह प्रमाणित होता है कि संस्था के सदस्य एवं पदाधिकारी संस्था कार्य संचालन में कोई रुचि नहीं ले रहे हैं जिसके कारण धारा-69(3) के अंतर्गत संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2017/43, दिनांक 11 जनवरी, 2017 को जारी किया गया।

कारण बताओ सूचना-पत्र संस्था के पंजीकृत पते पर एवं मध्यप्रदेश शासन राजपत्र दिनांक 03 फरवरी, 2017 को में भी प्रकाशित कराया गया परन्तु आज दिनांक तक संस्था के द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का कोई जवाब प्रस्तुत न करना यह दर्शाता है कि संस्था के सदस्य एवं पदाधिकारी की संस्था के संचालन में कोई रुचि नहीं है।

अतः मैं, सी. पी. एस. भदौरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के तहत रीना महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., करहिया, जिला ग्वालियर को परिसमापन में लाये जाने का आदेश देता हूँ और संस्था की सम्पत्तियों एवं दायतियों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री एफ. ए. खान, सहकारिता विस्तार अधिकारी भितरवार, ग्वालियर को उक्त सहकारी समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 25 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(1549-A)

ग्वालियर, दिनांक 25 मार्च, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/708.—पीताम्बरा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., चीनोर, जिला ग्वालियर जिसका पंजीयन क्र./डी.आर./जी.डब्लू.आर./877, दिनांक 14 सितम्बर, 1998 है, के सम्बंध में सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर के द्वारा अवगत कराया है कि संस्था ने पंजीयन दिनांक से आज दिनांक तक संस्था का अंकेक्षण नहीं कराया है एवं पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने के कारण यह प्रमाणित होता है कि संस्था के सदस्य एवं पदाधिकारी संस्था कार्य संचालन में कोई रूचि नहीं ले रहे हैं जिसके कारण धारा-69(3) के अंतर्गत संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2017/38, दिनांक 11 जनवरी, 2017 को जारी किया गया।

कारण बताओ सूचना-पत्र संस्था के पंजीकृत पते पर एवं मध्यप्रदेश शासन राजपत्र दिनांक 03 फरवरी, 2017 को में भी प्रकाशित कराया गया परन्तु आज दिनांक तक संस्था के द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का कोई जवाब प्रस्तुत न करना यह दर्शाता है कि संस्था के सदस्य एवं पदाधिकारी की संस्था के संचालन में कोई रूचि नहीं है।

अतः मैं, सी. पी. एस. भदौरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के तहत पीताम्बरा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., चीनोर, जिला ग्वालियर को परिसमापन में लाये जाने का आदेश देता हूँ और संस्था की सम्पत्तियों एवं दायत्वियों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री एफ. ए. खान, सहकारिता विस्तार अधिकारी भितरवार, ग्वालियर को उक्त सहकारी समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 25 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

(1549-B)

ग्वालियर, दिनांक 25 मार्च, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) एवं 70 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/723.—पंचमहल प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., आंतरी ग्वालियर, जिला ग्वालियर जिसका पंजीयन क्र./डी.आर./जी.डब्लू.आर./929, दिनांक 17 जुलाई, 2003 है, के सम्बंध में सहायक पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर के द्वारा अवगत कराया है कि संस्था ने पंजीयन दिनांक से आज दिनांक तक संस्था का अंकेक्षण नहीं कराया है एवं पंजीयन दिनांक से अकार्यशील होने के कारण यह प्रमाणित होता है कि संस्था के सदस्य एवं पदाधिकारी संस्था कार्य संचालन में कोई रूचि नहीं ले रहे हैं जिसके कारण धारा-69(3) के अंतर्गत संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र क्रमांक/परि./2017/39, दिनांक 11 जनवरी, 2017 को जारी किया गया।

कारण बताओ सूचना-पत्र संस्था के पंजीकृत पते पर एवं मध्यप्रदेश शासन राजपत्र दिनांक 03 फरवरी, 2017 को में भी प्रकाशित कराया गया परन्तु आज दिनांक तक संस्था के द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का कोई जवाब प्रस्तुत न करना यह दर्शाता है कि संस्था के सदस्य एवं पदाधिकारी की संस्था के संचालन में कोई रूचि नहीं है।

अतः मैं, सी. पी. एस. भदौरिया, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 18 अगस्त, 2003 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69(2) के तहत पंचमहल प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., आंतरी ग्वालियर, जिला ग्वालियर को परिसमापन में लाये जाने का आदेश देता हूँ और संस्था की सम्पत्तियों एवं दायत्वियों के निराकरण हेतु मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री एफ. ए. खान, सहकारिता विस्तार अधिकारी भितरवार, ग्वालियर को उक्त सहकारी समिति का परिसमापक नियुक्त करता हूँ।

यह आदेश आज दिनांक 25 मार्च, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया।

सी. पी. एस. भदौरिया,
उप-पंजीयक.

(1549-C)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला आगर-मालवा

आगर मालवा, दिनांक 18 सितम्बर, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अंतर्गत]

क्र./परि./2017/1537.—कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला आगर-मालवा के आदेश क्रमांक/परिसमापन/2017/1178, दिनांक 11 जुलाई, 2016 के द्वारा महिला दुर्घट समिति सहकारी मर्या., रलायति, तहसील बडौद, जिला आगर-मालवा (पंजीयन क्रमांक 39, दिनांक 22 जनवरी, 2015) को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) एवं 70 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाया गया था।

परिसमापक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन अनुसार उक्त संस्था के सदस्यों की बैठक दिनांक 04 सितम्बर, 2017 में संस्था को अधिनियम अनुसार संचालित करने का निर्णय पारित किया जाकर एक अवसर प्रदान किये जाने का संकल्प पारित किया गया है। प्रतिवेदन के साथ संस्था की आगामी 03 वर्षीय कार्ययोजना संलग्न की गई है। जिसमें संस्था में सदस्यता वृद्धि के साथ संस्था के लाभ में संचालन को दर्शाया गया है। संस्था के सुचारु कार्य संचालन हेतु निर्वाचन होने तक श्री गोपाल यादव, मार्ग पर्यवेक्षक दुर्गम शीत केन्द्र, आगर को अधिकृत किया गया है।

अतः संस्था सदस्यों द्वारा पारित निर्णय एवं परिसमापक के प्रतिवेदन के आधार पर मैं, श्वेता रावत, प्रभारी उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला आगर-मालवा मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) तथा 70 (1) के अंतर्गत तथा मध्यप्रदेश सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-15-एक-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये महिला दुर्गम समिति सहकारी मर्या., रलायति, तहसील बडौद, जिला आगर-मालवा (पंजीयन क्रमांक 39, दिनांक 22 जनवरी, 2015) को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (4) के अंतर्गत परिसमापन से मुक्त करते हुये पुनर्जीवित करती हैं तथा संस्था के सुचारु कार्य संचालन हेतु श्री गोपाल यादव, मार्ग पर्यवेक्षक दुर्गम शीतकेन्द्र, आगर को संस्था का प्रशासक नियुक्त किया जाता है। प्रशासक आगामी तीन माह में संस्था प्रबंधकारिणी के नवीन निर्वाचन कराये जाने की कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें।

यह आदेश आज दिनांक 15 सितम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया।

श्वेता रावत,
प्र. उप-पंजीयक.

(1550)

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला श्योपुर

श्योपुर, दिनांक 20 सितम्बर, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (सी/ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/1012.—सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला श्योपुर के आदेश क्र./परि./2017/918, दिनांक 29 अगस्त, 2017 के द्वारा निम्न सहकारी संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्रमांक एवं दिनांक
1	2	3	4
1.	संयुक्त कृषि सहकारी संस्था मर्या., फतेहपुर	201/23-03-1968	918/29-08-2017
2.	फल-फूल, साग-भाजी सह. संस्था, चेकबमुलिया	230/05-01-2016	918/29-08-2017
3.	फल-फूल, साग-भाजी सह. संस्था, बनडी	241/17-02-2016	918/29-08-2017
4.	दुर्गम उत्पादक सह. संस्था, गुरुनावदा	144/02-07-2011	918/29-08-2017
5.	मछुआ सह. संस्था, बडौदा	1034/31-03-1995	918/29-08-2017

अतः उक्त आदेश के परिपालन में मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं, नियम-1962 के नियम-57 (सी/ग) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के दिनांक से 60 दिवस के अंदर मय प्रमाण-पत्र के मुझे लिखित में कार्यालय सहायक आयुक्त सहकारिता, जिला श्योपुर में कार्यालयीन दिवस एवं समय में प्रस्तुत करें।

यदि निर्धारित अवधि में मय प्रमाण के कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया गया तो बाद में उसका क्लेम मान्य नहीं किया जाएगा। संस्था की उपलब्ध लेखा पुस्तकों एवं उपलब्ध जानकारी के आधार पर समस्त दायित्व स्वमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गए समझे जावेंगे एवं संस्था की परिसमापन कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही सम्पादित की जावेगी।

उक्त सूचना-पत्र आज दिनांक 20 सितम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई।

आर. के. राय,
परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

(1551)

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला श्योपुर

श्योपुर, दिनांक 20 सितम्बर, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (सी/ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/1013.—सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला श्योपुर के आदेश क्र./परि./2016/1063, दिनांक 22 सितम्बर, 2016

के द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्था को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्रमांक एवं दिनांक
1	2	3	4
1.	महिला उद्घेशीय बहु. सह. संस्था मर्या., औछा	32/01-01-2006	1063/22-09-2016

अतः उक्त आदेश के परिपालन में मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं, नियम-1962 के नियम-57 (सी/ग) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के दिनांक से 60 दिवस के अंदर मय प्रमाण-पत्र के मुझे लिखित में कार्यालय सहायक आयुक्त सहकारिता, जिला श्योपुर में कार्यालयीन दिवस एवं समय में प्रस्तुत करें।

यदि निर्धारित अवधि में मय प्रमाण के कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया गया तो बाद में उसका क्लेम मान्य नहीं किया जाएगा। संस्था की उपलब्ध लेखा पुस्तकों एवं उपलब्ध जानकारी के आधार पर समस्त दायित्व स्वमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गए समझे जावेंगे एवं संस्था की परिसमापन कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही सम्पादित की जावेगी।

उक्त सूचना-पत्र आज दिनांक 19 सितम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई।

आर. एल. सगर,

परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक।

(1551-A)

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला श्योपुर

श्योपुर, दिनांक 20 सितम्बर, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (सी/ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/1015.—सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला श्योपुर के आदेश क्र./परि./2017/918, दिनांक 29 अगस्त, 2017 के द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्रमांक एवं दिनांक
1	2	3	4
1.	महिला बहु. सह. संस्था मर्या., श्यामपुर	20/27-08-2002	918/29-08-2017
2.	माधव प्राथ. उप. सह. भंडार मर्या., श्योपुर	254/08-12-2016	918/29-08-2017
3.	फल-फूल,साग-भाजी सह. संस्था मर्या., मेघपुरा	204/30-11-2015	918/29-08-2017
4.	फल-फूल,साग-भाजी सह. संस्था मर्या., खलाई	205/30-11-2015	918/29-08-2017
5.	फल-फूल,साग-भाजी सह. संस्था मर्या., चकपाराँद	206/30-11-2015	918/29-08-2017
6.	शास. अशा. कर्म. गृह सह. संस्था मर्या., श्योपुर	117/23-02-2011	918/29-08-2017
7.	थोक उप. स्वा. सह. संस्था मर्या., श्योपुर	01/27-11-2000	918/29-08-2017
8.	विपण सह.संस्था मर्या., वीरपुर	79/01-04-2007	918/29-08-2017
9.	दुग्ध उत्पादक सह. संस्था, काठोने	192/08-06-2015	684/07-06-2017
10.	दुग्ध उत्पादक सह. संस्था, इकलौद	173/15-10-2014	685/07-06-2017
11.	दुग्ध उत्पादक सह. संस्था, इटवर्ड	188/17-11-2014	686/07-06-2017
12.	दुग्ध उत्पादक सह. संस्था, खितरपाल	175/16-10-2014	687/07-06-2017
13.	दुग्ध उत्पादक सह. संस्था, हुल्लपुर	170/10-10-2014	688/07-06-2017

1	2	3	4
14.	दुग्ध उत्पादक सह. संस्था, मढा	180/16-10-2014	689/07-06-2017
15.	दुग्ध उत्पादक सह. संस्था, गोहटा	185/16-10-2014	690/07-06-2017
16.	दुग्ध उत्पादक सह. संस्था, सिरथैड्या	195/08-06-2015	691/07-06-2017
17.	दुग्ध उत्पादक सह. संस्था, माधोपुरा	198/08-06-2015	692/07-06-2017

अतः उक्त आदेश के परिपालन में मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं, नियम-1962 के नियम-57 (सी/ग) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के दिनांक से 60 दिवस के अंदर मय प्रमाण-पत्र के मुझे लिखित में कार्यालय सहायक आयुक्त सहकारिता, जिला श्योपुर में कार्यालयीन दिवस एवं समय में प्रस्तुत करें।

यदि निर्धारित अवधि में मय प्रमाण के कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया गया तो बाद में उसका कलेम मान्य नहीं किया जाएगा। संस्था की उपलब्ध लेखा पुस्तकों एवं उपलब्ध जानकारी के आधार पर समस्त दायित्व स्वमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गए समझे जवेंगे एवं संस्था की परिसमापन कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही सम्पादित की जावेगी।

उक्त सूचना-पत्र आज दिनांक 20 सितम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई।

रवि पचौरिया,

परिसमापक एवं उप-अंकेक्षक।

(1551-C)

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला श्योपुर

श्योपुर, दिनांक 20 सितम्बर, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (सी/ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/1016.—सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला श्योपुर के आदेश क्र./परि./2017/705,693,694,695,696,697, दिनांक 07 जून, 2017 के द्वारा निम्न सहकारी संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्रमांक एवं दिनांक
1	2	3	4
1.	हस्त शिल्प सह. संस्था मर्या., आवदा	257/08-12-2016	705/07-06-2017
2.	महिला बहु. सह. संस्था मर्या., बर्दुला	56/18-05-2004	693/07-06-2017
3.	बुरहानी प्राथ. उप. सह. भंडार मर्या., श्योपुर	113/11-05-2010	694/07-06-2017
4.	प्राथ. उप. सह. भण्डार मर्या., 15,16	146/07-01-2012	695/07-06-2017
5.	प्राथ. उप. सह. भण्डार मर्या., 20,21	164/03-05-2012	696/07-06-2017
6.	श्रमिक सह. संस्था मर्या., नारायणपुरा	159/11-03-2013	697/07-06-2017

अतः उक्त आदेश के परिपालन में मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं, नियम-1962 के नियम-57 (सी/ग) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के दिनांक से 60 दिवस के अंदर मय प्रमाण-पत्र के मुझे लिखित में कार्यालय सहायक आयुक्त सहकारिता, जिला श्योपुर में कार्यालयीन दिवस एवं समय में प्रस्तुत करें।

यदि निर्धारित अवधि में मय प्रमाण के कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया गया तो बाद में उसका कलेम मान्य नहीं किया जाएगा। संस्था की उपलब्ध लेखा पुस्तकों एवं उपलब्ध जानकारी के आधार पर समस्त दायित्व स्वमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गए समझे जवेंगे एवं संस्था की परिसमापन कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही सम्पादित की जावेगी।

उक्त सूचना-पत्र आज दिनांक 20 सितम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई।

पवन अग्रवाल,

परिसमापक एवं उप-अंकेक्षक।

(1551-D)

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी संस्थाएं, जिला श्योपुर

श्योपुर, दिनांक 20 सितम्बर, 2017

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम, 1962 के नियम-57 (सी/ग) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2017/1017.—सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला श्योपुर के आदेश क्र./परि./2017/918, दिनांक 29 अगस्त, 2017 के द्वारा निम्न सहकारी संस्थाओं को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर ध धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक एवं दिनांक	परिसमापन में लाने का आदेश क्रमांक एवं दिनांक
1	2	3	4
1.	मुरैना जिला खादी ग्राम उद्योग, श्योपुर	201/25-03-1968	1824/07-07-1982
2.	दुग्ध उत्पादक सह. संस्था, आवदा	126/01-04-2011	462/05-07-2013
3.	विपण सह. संस्था, बड़ौदा	26/23-11-1965	51/02-11-1976
4.	महात्मा गांधी फल-सब्जी सहकारी, श्योपुर	04/04-06-2001	159/17-02-2004
5.	पवन सेनेटी मार्ट सह. संस्था, श्योपुर	24/16-07-2003	1854/04-03-2011
6.	प्राथमिक बुनकर सह. संस्था, बड़ौदा	5186/20-04-1949	8408/04-11-1997
7.	आदिवासी बुनकर सह. संस्था मर्या., शिवलालकापुरा	301/31-08-1991	737/22-01-1998
8.	इन्द्राविलास दुग्ध उत्पादक सह. संस्था, सारशिल्ला	28/16-07-2003	4561/04-10-2011
9.	द्वारिकादास सह. संस्था, वीरपुर	15/04-07-2007	4592/04-10-2011

अतः उक्त आदेश के परिपालन में मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं, नियम-1962 के नियम-57 (सी/ग) के अन्तर्गत उक्त संस्थाओं के समस्त दावेदारों को एतद्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के दिनांक से 60 दिवस के अंदर मय प्रमाण-पत्र के मुझे लिखित में कार्यालय सहायक आयुक्त सहकारिता, जिला श्योपुर में कार्यालयीन दिवस एवं समय में प्रस्तुत करें।

यदि निर्धारित अवधि में मय प्रमाण के कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया गया तो बाद में उसका क्लेम मान्य नहीं किया जाएगा। संस्था की उपलब्ध लेखा पुस्तकों एवं उपलब्ध जानकारी के आधार पर समस्त दायित्व स्वमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गए समझे जवेंगे एवं संस्था की परिसमापन कार्यवाही पूर्ण कर पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही सम्पादित की जावेगी।

उक्त सूचना-पत्र आज दिनांक 20 सितम्बर, 2017 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी की गई।

के. आर. रेंगर,
परिसमापक एवं उप-अंकेक्षक.

(1551-E)



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 42]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 20 अक्टूबर, 2017-आश्विन 28, शके 1939

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल एवं पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 03 मई, 2017

1. मौसम एवं वर्षा.-राज्य में प्रायः इस सप्ताह मौसम शुष्क रहा है तथा राज्य के श्योपुर, उज्जैन व जबलपुर जिलों को छोड़कर किसी भी जिले में वर्षा का होना नहीं पाया गया है।

(अ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि.मी. तक- तहसील कराहल (श्योपुर), उज्जैन (उज्जैन), सिहोरा (जबलपुर) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है।

2. जुताई.- जिला ग्वालियर, बालाघाट में धान की रोपाई व पन्ना, दमोह, शाजापुर, खरगौन, सीहोर, जबलपुर में जुताई का कार्य कहीं-कहीं चालू है।

3. बोनी.- जिला रायसेन में फसल मूँग व ग्वालियर, दमोह, जबलपुर, खण्डवा में खरीफ फसलों की बोनी का कार्य कहीं-कहीं चालू है।

4. फसल स्थिति-

..

5. कटाई.- जिला पन्ना, सागर, व खरगौन में रबी फसलों की कटाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है।

6. सिंचाई.- जिला ग्वालियर, सागर, शहडोल, नीमच, झाबुआ व बड़वानी में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।

7. पशुओं की स्थिति.- राज्य के प्रायः सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है।

8. चारा.- राज्य के प्रायः सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।

9. बीज.- राज्य के प्रायः सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।

10. खेतिहर श्रमिक.- राज्य के प्रायः सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं।

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 03 मई, 2017

जिला/तहसीलें	1. सप्ताह में हुई वर्षा :- (अ) वर्षा का माप (मि. मी. में) (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव :- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में:- (1) फसल का क्षेत्रफल- (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई समान या बिगड़ी हुई (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक) 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. जिला मुरैना :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. अम्बाह 2. पोरसा 3. मुरैना 4. जौरा 5. सबलगढ़ 6. कैलारस				
2. जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गन्ना. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. श्योपुर 2. कराहल 3. विजयपुर	.. 12.0 ..				
3. जिला भिण्ड :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. अटेर 2. भिण्ड 3. गोहद 4. मेहगांव 5. लाहार 6. मिहोना 7. रैन				
4. जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी व रोपाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. ग्वालियर 2. डबरा 3. भितरवार 4. घाटीगांव				
5. जिला दतिया :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना, मटर, जौ, मसूर, सरसों, गन्ना, समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. सेवढ़ा 2. दतिया 3. भाण्डेर				
6. जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. शिवपुरी 2. पिछोर 3. खनियाधाना 4. नरवर 5. करैरा 6. कोलारस 7. पोहरी 8. बद्रवास				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7. जिला अशोकनगर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) उड्ड, मक्का, गेहूँ, चना अधिक. सोयाबीन, गन्ना कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. मुँगावली 2. ईसागढ़ 3. अशोकनगर 4. चन्द्री 5. शाढौरा				
8. जिला गुना :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना, धनिया, मसूर, सरसों समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. गुना 2. राघोगढ़ 3. बमोरी 4. आरान 5. चाचौड़ा 6. कुम्भराज				
9. जिला टीकमगढ़ :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. निवाड़ी 2. पृथ्वीपुर 3. जतारा 4. टीकमगढ़ 5. बल्देवगढ़ 6. पलेरा 7. आरछा				
10. *जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. लोणडी 2. गौरीहार 3. नौगांव 4. छतरपुर 5. राजनगर 6. बिजावर 7. बड़ामलहरा 8. बक्सवाहा				
11. जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2. जुताई व रखी फसलों की कटाई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) धान, ज्वार, बाजरा, मक्का, तुअर, उड्ड, मूँग, सोयाबीन, तितल, गेहूँ, चना, जौ, राई, अलसी, मसूर, मटर, आलू, घ्याज. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. ..
1. अजयगढ़ 2. पन्ना 3. गुन्नरौ 4. पवई 5. शाहनगर				
12. जिला सागर :	मिलीमीटर	2. फसलों की कटाई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, तेवड़ा, राई-सरसों, अलसी, आलू, घ्याज. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. बीना 2. खुरई 3. बण्डा 4. सागर 5. रेहली 6. देवरी 7. गढ़ाकोटा 8. राहतगढ़ 9. केसली 10. मालथोन 11. शाहगढ़				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
13. जिला दमोह :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं जायद फसलों की बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गना, मूँग, उड़द. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. हटा 2. बटियागढ़ 3. दमोह 4. पथरिया 5. जवेरा 6. तेन्दूखेड़ा 7. पटेरा	..				
14. जिला सतना :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. रघुराजनगर 2. मझगांव 3. रामपुर-बघेलान 4. नागौद 5. उचेहरा 6. अमरपाटन 7. रामनगर 8. मैहर 9. बिरसिंहपुर	..				
15. जिला रीवा :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ, चना, अलसी, जौ, राई-सरसों, अरहर अधिक. मसूर समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. त्याँथर 2. सिरमौर 3. मऊगंज 4. हनुमना 5. हजूर 6. गुढ़ 7. रायपुरकचुलियान	..				
16. जिला शहडोल:	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) तुअर, चना, मसूर, अलसी, गेहूँ जौ अधिक. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सोहागपुर 2. ब्यौहारी 3. जैसिंहनगर 4. जैतपुर	..				
17. जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ, चना अधिक. तुअर, अलसी, मसूर समान. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. जैतहरी 2. अनूपपुर 3. कोतमा 4. पुष्पराजगढ़	..				
18. जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ, तुअर, चना, अलसी, राई-सरसों समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. ... 8. पर्याप्त.
1. बांधवगढ़ 2. पाली 3. मानपुर	..				
19. जिला सीधी :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) अलसी, चना, राई-सरसों, गेहूँ, मसूर, जौ समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. गोपदवनास 2. सिंहावल 3. मझौली 4. कुसमी 5. चुरहट 6. रामपुरनैकिन	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
20. जिला सिंगरौली : 1. चितरंगी 2. देवसर 3. सिंगरौली	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
21. जिला मंदसौर : 1. सुवासराटप्पा 2. भानपुरा 3. मल्हारगढ़ 4. गरोठ 5. मंदसौर 6. श्यामगढ़ 7. सीतामऊ 8. धुंधड़का 9. संजीत 10. कयामपुर	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4.(1) गेहूँ, चना. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
22. जिला नीमच : 1. जावद 2. नीमच 3. मनासा	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4.(1) गेहूँ, चना, राई-सरसों, मटर, मसूर. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
23. *जिला रत्लाम : 1. जावरा 2. आलोट 3. सैलाना 4. बाजना 5. पिपलोदा 6. रत्लाम	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
24. जिला उज्जैन : 1. खाचरौद 2. महिदपुर 3. तराना 4. घटिया 5. उज्जैन 6. बड़नगर 7. नागदा	मिलीमीटर 10.0	2. ..	3. .. 4.(1) गेहूँ, चना समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
25. जिला आगर : 1. बड़ोद 2. सुसनेर 3. नलखेड़ा 4. आगर	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना, रायड़ा समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
26. जिला शाजापुर : 1. मोहम्मद बड़ोदिया 2. शाजापुर 3. शुजालपुर 4. कालापीपल 5. गुलाना	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों, मसूर समान. (2) उपरोक्त फसलें समान.	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
27. जिला देवास : 1. सोनकच्छ 2. टोंकखुर्द 3. देवास 4. बागली 5. कन्नोद 6. खातेगांव	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ, मटर, चना अधिक. कपास कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
28. जिला झाबुआ : 1. थांदला 2. मेघनगर 3. पेटलावद 4. झाबुआ 5. राणापुर	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. ..
29. जिला अलीराजपुर : 1. जोवट 2. अलीराजपुर 3. कट्टीवाड़ा 4. सोंडवा 5. भामरा	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
30. जिला धार : 1. बदनावर 2. सरदारपुर 3. धार 4. कुक्षी 5. मनावर 6. धरमपुरी 7. गंधवानी 8. डही	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गेहूँ, कपास, गन्ना अधिक. चना. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद,	7. .. 8. पर्याप्त.
31. जिला इन्दौर : 1. देपालपुर 2. सांवेर 3. इन्दौर 4. महू (डॉ. अम्बेडकर नगर)	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
32. जिला खरगौन : 1. बड़वाह 2. महेश्वर 3. सेगांव 4. खरगौन 5. गोगावां 6. कसरावद 7. भगवानपुरा 8. भीकनगांव 9. झिरन्या	मिलीमीटर	2. जुताई व रखी फसलों की कटाई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) मक्का, तुवर, चना अधिक. ज्वार, धान, बाजरा, कपास, मूँगफली, गेहूँ, अलसी, राई-सरसों कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
33. जिला बड़वानी : 1. बड़वानी 2. ठीकरी 3. राजकोट 4. सेंधवा 5. पानसेमल 6. पाटी 7. निवाली	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) गन्ना, मक्का अधिक. ज्वार, कपास कम. (2) ..	5. अपर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. ..
34. जिला खण्डवा : 1. खण्डवा 2. पंधाना 3. हरसूद	मिलीमीटर	2. बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
35. जिला बुरहानपुर : 1. बुरहानपुर 2. खकनार 3. नेपानगर	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ, चना अधिक. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
36. जिला राजगढ़ : 1. जीरापुर 2. खिलचीपुर 3. राजगढ़ 4. ब्यावरा 5. सारंगपुर 6. पचोर 7. नरसिंहगढ़	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
37. जिला विदिशा : 1. लटेरी 2. सिरोंज 3. कुरवाई 4. बासोदा 5. नटेरन 6. विदिशा 7. गुलाबगंज 8. ग्यारसपुर	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
38. जिला भोपाल : 1. बैरसिया 2. हुजूर	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
39. जिला सीहोर : 1. सीहोर 2. आष्टा 3. इच्छावर 4. नसरुल्लागंज 5. बुधनी	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. ..	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
40. जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2. मूँग की बोनी का कार्य चालू हैं.	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. ..
1. रायसेन	..				
2. गैरतगंज	..				
3. बेगमगंज	..				
4. गोहरगंज	..				
5. बरेली	..				
6. सिलवानी	..				
7. बाड़ी	..				
8. उदयपुरा	..				
41. *जिला बैतूल :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
1. भैंसदेही	..				
2. घोड़ाडोंगरी	..				
3. शाहपुर	..				
4. चिंचोली	..				
5. बैतूल	..				
6. मुलताई	..				
7. आठनेर	..				
8. आमला	..				
42. जिला होशंगाबाद :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) चना, मटर, मसूर अधिक. गेहूँ कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. सिवनी-मालवा	..				
2. होशंगाबाद	..				
3. बावई	..				
4. इटारसी	..				
5. सोहागपुर	..				
6. पिपरिया	..				
7. बनखेड़ी	..				
8. पचमढ़ी	..				
43. जिला हरदा :	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. हरदा	..				
2. खिड़किया	..				
3. टिमरनी	..				
44. जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. .. 4. (1) गेहूँ उड़द अधिक. मूँग कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. .. 8. पर्याप्त.
1. सीहोरा	0.3				
2. पाटन	..				
3. जबलपुर	..				
4. मझोली	..				
5. कुण्डम	..				
45. जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
1. कटनी	..				
2. रीठी	..				
3. विजयराघवाड़	..				
4. बहोरीबंद	..				
5. ढीमरखेड़ी	..				
6. बरही	..				

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
46. *जिला नरसिंहपुर : 1. गाडरवारा 2. करली 3. नरसिंहपुर 4. गोटेंगंव 5. तेंदुखेड़ा	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
47. जिला मण्डला : 1. निवास 2. बिछिया 3. नैनपुर 4. मण्डला 5. घुघरी 6. नारायणगंज	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) गेहूँ चना, मटर, मसूर (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
48. जिला डिणडोरी : 1. डिणडोरी 2. बजाग 3. शाहपुरा	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
49. जिला छिंदवाड़ा : 1. छिंदवाड़ा 2. जुनारदेव 3. परासिया 4. तामिया 5. सोंसर 6. पांडुर्णा 7. अमरवाड़ा 8. चौरई 9. चांद 10. बिल्हुआ 11. हरई 12. उमरेठ 13. बोलखेड़ा	मिलीमीटर	2. ..	3. कोई घटना नहीं. 4. (1) मक्का, धान अधिक. सोयाबीन कम. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.
50. *जिला सिवनी : 1. सिवनी 2. केवलारी 3. लखनादोन 4. बरघाट 5. कुरई 6. घंसोर 7. घनोरा 8. छपारा	मिलीमीटर	2. ..	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. .. 6. ..	7. .. 8. ..
51. जिला बालाघाट : 1. बालाघाट 2. लाँजी 3. खैरलाँजी 4. बैहर 5. लालबरा 6. वारासिवनी 7. बिरसा 8. कटंगी 9. परसवाड़ा 10. किरनापुर	मिलीमीटर	2. रखी, धान की रोपाई का कार्य चालू है।	3. .. 4. (1) .. (2) ..	5. पर्याप्त. 6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	7. पर्याप्त. 8. पर्याप्त.

टीप.-*जिला छतरपुर, रतलाम, बैतूल, नरसिंहपुर व सिवनी से पत्रक अप्राप्त रहे हैं।

आर. पी. भारती,
संयुक्त आयुक्त,
भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश।

(1553)